बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
आदेश

संख्या–3प/मु०मं०नि०यो०–19–04/2016(पार्ट–2)/15/पं०रा०,पटना   दिनांक–13/01/2023

विषयः– मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की ''दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति'' के तहत योजना के रख–रखाव हेतु अनुरक्षक नियुक्त किये जाने के संबंध में संशोधित दिशा–निर्देश।

पंचायती राज विभाग के संकल्प सं०–2935, दिनांक–22.06.2021 के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षण एवं रख–रखाव नीति से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत है।

दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के उक्त संकल्प की कंडिका–03 एवं संलग्न अनुदेश की कंडिका–01 में अनुरक्षण की व्यवस्था से संबंधित प्रावधान निम्नवत वर्णित हैः–

''ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक की व्यवस्था होगी, जिनका कर्तव्य पेयजल योजना को सुचारू रूप से संचालन करना है। सामान्यतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। वार्ड सदस्य की अनिच्छा पर वार्ड सभा, वार्ड सचिव को अनुरक्षक बना सकेगी।''

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण एवं रख–रखाव नीति के तहत प्रस्तावित प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत के वार्ड क्षेत्र अंतर्गत समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि सरकारी भूमि की अनुपलब्धता के आलोक में कतिपय रैयतों द्वारा पेयजलापूर्ति योजना के लिए उनके द्वारा दान में दी गयी जमीन पर संबंधित वार्ड का टंकी एवं बोरिंग स्थापित किया गया है। पेयजलापूर्ति योजना के सतत् संचालन में उक्त भूमिदाताओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

विभागीय संकल्प सं०–2935, दिनांक–22.06.2021 की कंडिका–10 में यह प्रावधान वर्णित है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सतत संचालन एवं उचित प्रबंधन हेतु पंचायती राज विभाग समय–समय पर अग्रेतर दिशा–निर्देश जारी कर सकेगा।

उपरोक्त अनुक्रम की निरंतरता में यह आवश्यक है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत पेयजलापूर्ति योजना में भूमिदाता रैयतों के लिए अनुरक्षण की व्यवस्था में सहभागीदारी स्थापित की जाय।

उपर्युक्त के आलोक में निम्नवत व्यवस्था पुनर्स्थापित की जाती हैः–

(i) यदि किसी रैयत द्वारा संबंधित वार्ड क्षेत्र अंतर्गत भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधित कर दान में दी गयी हो, तो उक्त भूमिदाता रैयत अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को पहली प्राथमिकता के आधार पर अनुरक्षक के रूप में चयन किया जा सकेगा। यदि संबंधित रैयत द्वारा दान में दी गयी भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधित नहीं की गयी हो, तो उनके द्वारा दान में दी गयी जमीन को राज्यपाल के नाम से निबंधित किये जाने के उपरांत ही उक्त रैयत या उनके द्वारा नामित

किये गये उनके परिवार के किसी सदस्य को अनुरक्षक के रूप में चयनित किया जा सकेगा।

(ii) यदि रैयत या रैयत द्वारा नामित उनके परिवार का कोई सदस्य अनुरक्षक के रूप में कार्य करने से इन्कार करता है, तो द्वितीय प्राथमिकता के रूप में संबंधित वार्ड सदस्य अनुरक्षक के रूप में कार्य कर सकेंगे।

(iii) यदि वार्ड सदस्य द्वारा अनुरक्षक के रूप में कार्य करने की अनिच्छा व्यक्त की जाती है, तो वार्ड सभा के अनुमोदन से वार्ड सचिव को अनुरक्षक बनाया जा सकेगा।

(iv) यदि वार्ड सचिव द्वारा भी अनुरक्षक के रूप में कार्य करने की अनिच्छा व्यक्त की जाती है, तो उक्त वार्ड क्षेत्र अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को वार्ड सभा के अनुमोदन से अनुरक्षक बनाया जा सकेगा, जिसमें दिव्यांगों को प्राथमिकता होगी।

(v) विभागीय संकल्प संख्या–2935, दिनांक–22.06.2021 में वर्णित शेष प्रावधान पूर्ववत् रहेंगे।

(vi) प्रारूप एवं प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(vii) यह आदेश पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

मिहिर 13/1/23

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–3प/मु०मं०नि०यो०–19–04/2016(पार्ट–2)/537/पं०रा०,पटना दिनांक–13/01/2023
प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मिहिर 13/1/23

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–3प/मु०मं०नि०यो०–19–04/2016(पार्ट–2)/537/पं०रा०,पटना दिनांक–13/01/2023
प्रतिलिपि :–मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति को सूचनार्थ अग्रसारित।

मिहिर 13/1/23

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक:–3प/मु०मं०नि०यो०–19–04/2016(पार्ट–2)/ 537 /पं०रा०,पटना दिनांक– 13 / 01 /2023

प्रतिलिपि :–सचिव, बिहार विधान परिषद/सचिव, बिहार विधान सभा/मुख्यमंत्री सचिवालय/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित्।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:–3प/मु०मं०नि०यो०–19–04/2016(पार्ट–2)/ 537 /पं०रा०,पटना दिनांक– 13 / 01 /2023

प्रतिलिपि :–आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट www.biharprd.nic.in पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित्।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव